Jai Maa Saraswati Gyandayini ISSN: 2454-8367
An International Multidisciplinary e-Journal
(Peer - reviewed, Open Access & Indexed)
Web: www.jmsjournals.in; Email: jmsjournals.in@gmail.com
Vol.6, Issue-III, January 2021

भारत में महिलाओं की स्थिति एवं वर्तमान मुद्दे: 21वी सदी के विशेष सन्दर्भ में

(Status of women in India and current issues: with special reference to the 21st century)

Dr. Rahul Sharma
Assistant Professor in Law
Madhav Law College, Jiwaji University Gwalior,
Madhya Pradesh, (India)
Email- rsrahulsharma5555@gmail.com
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-3459-7568
DOI: https://doi.org/10.53724/jmsg/v6n3.05

संक्षिप्त रूप

इस शोध पत्र के द्वारा भारत में महिलाओं की स्थिति का विशलेषण करने का प्रयास किया गया है तथा उन मुद्दों एवं चुनौतियों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है जो महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करते हैं। आज 21वी शदी में महिलाओं की स्थिति चिंतन का एक महत्वपूर्ण विषय है और समाज के लिए एक गम्भीर चुनौती भी है। यदि हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन को देखें तो पायेंगें कि, महिला अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के सामाजिक दायित्वों से पीड़ित है। महिला सशक्तिकरण, महिला विश्वास, अधिकार, योग्यताओं की अभिवृद्धी करने वाला एक वृहद सशक्त हथियार है। जिसका प्रयोग करके वह अपने जीवन को अधिक दृढ़ एवं व्यवस्थित तरीके से जी सकती है जो उनकी मजबूती के लिए आवश्यक है। महिला सशक्तिकरण सामान्यतः महिलाओं के सामाजिक राजनैतिक आर्थिक विकास की एक प्रक्रिया है जहां उनकी मजबूती आवश्यक है। यह वह प्रक्रिया है जो हर स्तर पर महिलाओं के विरूद्ध होने वाले हर प्रकार की हिंसा को रोकने की आवाज बुलन्द करती है। यह अध्ययन पूर्णतः द्वितीयक स्त्रोंतों पर आधारित है। अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि, महिलाऐं पुरूषों की तुलना में पिछड़ी हुई है तथा उनका समाज में द्वितीय स्थान है। अध्ययन और शोध करके महिलाओं के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार, रोजगार एवं सामाजिक सोच कानूनों के उचित क्रियान्वयन, राजनैतिक परिपाटी एवं ढ़ांचे में परिवर्तन करके महिलाओं की स्थिति में सुदृढ़ता का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

शब्द कुंजी: महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की वर्तमान स्थिति, महिला सशक्तिकरण में बाधक कारक, महिलासशक्तिकरण की चुनौतियॉ, महिला संबंधी संवैधानिक प्रावधान, महिला अधिकार, महिला संबंधी विधियॉ पिछड़ेपन का कारण, महिला सशक्तिकरण का राष्ट्र पर प्रभाव।

परिचयः–

महिलाओं की स्थिति में सुदृढ़ता से तात्पर्य महिलाओं के आर्थिक सामाजिक, राजनैतिक लैंगिक, शैक्षणिक स्तर में अभिवृद्धि से है जिसका संबंध उसके निजी एवं सामाजिक जीवन से है। आज के युग में महिलाऐं एवं पुरूष महत्वपूर्ण प्रभावशाली और अर्थपूर्ण सहयोगी माने जाने लगे हैं। भारतीय समाज में महिलाऐं एक लम्बे काल से अवमानना, भेदभाव, यातना, शोषण का शिकार रही है इसका प्रमुख कारण पुरूष प्रधान समाज का होना। विचारधारा संस्थगत रिवाजों, समाज में प्रचलित प्रतिमानों ने उनके जीवन को बढ़ाया है। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में भी भिन्नताऐं देखने को मिलती है जैसे राजनैतिक सहभागिता, स्वास्थ्य, निर्णय

क्षमता, स्वतंत्रता, शिक्षा, अधिकारों की मांग आदि। इन स्थितियों में सुधार के लिए विभिन्न योजनाओं का निर्माण राष्ट्रीय, राज्यीय एवं स्थानीय स्तर पर किये जा रहे हैं। जिनमें महिला स्वास्थ्य, शिक्षा, राजनैतिक सहभागिता, लिंग आधारीय हिंसा एवं भेदभाव की समाप्ती, आर्थिक स्वावलम्भन जैसे मुद्दे प्रमुख हैं।

महिलाऐं विश्व आवादी का लगभग 50 प्रतिशत है किन्तु यदि भारत में दृष्टिपात करें तो आज भी कई क्षेत्रों में महिला लिंगानुपात पुरूषों की तुलना में कम है। इसके साथ ही उनका सामाजिक जीवन पुरूषों की तुलना में निम्नस्तरीय है उनके साथ विभिन्न स्तरों पर पुरूषों की अपेक्षा समान व्यवहार नही किया जाता है जबकि पाश्चात्य सभ्यता में स्त्रियॉ पुरूषों के समान अधिकारों का उपभोग कर रही हैं। किन्तु भारत में आज भी लैंगिक असमानता एवं उत्पीड़न विद्यमान है। महिला स्थिति को मजबूत करने हेतु विभिन्न योजनाओं, विधियों, नियमों, अधिकारों का निर्माण किया गया है किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि, सशक्त राजनैतिक इच्छा शक्ति के अभाव में इनका क्रियान्वयन सफलता पूर्वक नही हो पा रहा है। जिसकी झलक वर्तमान महिला स्थिति का परिचायक है।

शोध उद्देश्यः –

1. महिला स्थिति में सुदृढ़ता की आवश्यकता को समझना ।
2. भारत में महिला स्थिति की सुदृढ़ता को प्राप्त करना।
3. भारत में महिला स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए जागरूकता उत्पन्न करना।
4. उन तथ्यों का विशलेषण जो महिलाओं के आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं।
5. महिला सशाक्तिकरण हेतु बनाई गई सरकारी योजनाओं का अध्ययन।
6. महिला सशक्तिकरण के मार्ग में आने वाली बाधाओं को चिन्हित करना।
7. महिला सशक्तिकरण की सुदृढ़ता में सहायक उपयोगी सुझावों की अनुशंसा करना।

अनुसंधान क्रियाविधिः–

यह शोध आलेख विशलेषणात्मक अनुसंधान पर आधारित है। इस आलेख के तहत लेखन कार्य करते समय अनुसंधानकर्ता द्वारा तथ्यों का संकलन प्रसिद्ध एवं प्रमाणिक लेखकों की पुस्तकों, प्रमाणिक पत्रिकाओं, कानूनी पत्रिकाओं, प्रसिद्ध समाचार पत्रों एवं शोध आलेखों के माध्यम से किया गया है। इस आलेख के माध्यम से मेरा द्वारा किया गया प्रयास राष्ट्र विकास में महिलाओं की भूमिका एवं महिला सशक्तिकरण से सम्बंधित मुद्दे एवं चुनौतियों को प्रकाश में लाना है ताकि इसके लिए उत्तरदायी कारकों पहचानकर उन्हें दूर किया जा सके एवं महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

महिलाओं के विरूद्ध कारित अपराधः–

महिलाओं के विरूद्ध समाज में विभिन्न प्रकार के अपराध घटित होते हैं जो उनकी स्थिति को प्रभावित करते है तथा उनके सशक्तिकरण के मार्ग को अवरूद्ध करते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के माध्यम से इसी ओर संकेत किया गया है। जिसके प्रमुख ऑकड़े निम्नलिखित है–

महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराधों के संदर्भ में एनसीआरबी की रिपोर्ट 2019 के अनुसार–

महिलाओं के विरुद्ध कार्य अपराधों के संदर्भ में एनसीआरबी ने वर्ष 2019 कि अपनी रिपोर्ट में जो आंकड़े जारी किए हैं वह चौकानेवाले है क्योकि रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध कार्य अपराधों में इस वर्ष पिछले वर्ष

की तुलना में 7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई यदि हम प्रादेशिक स्तर पर एनसीईआरटी द्वारा जारी किए गए आंकड़ों का विश्लेषण करें तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध अपराध के सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए लेकिन हम सर्वाधिक मामलों को प्रतिशत के आधार पर देखें तो एक लाख की जनसंख्या में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक मामले असम में दर्ज किए गए वहीं राजस्थान में दलित महिलाओं के विरुद्ध सर्वाधिक अपराध कार्य किए गए वर्ष 2019 में महिलाओं के विरुद्ध कार्य अपराधों के 405861 मामले दर्ज किए गए जो कि वर्ष 2018 में दर्ज किए गए 378236 मामलों से 7.3 प्रतिशत अधिक थी आईटीसी के अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध कार्य कुल अपराधों में से पति एवं उनके नातेदार ओं द्वारा की गई हिंसा के 30.9 प्रतिशत मामले दर्ज किए गए महिलाओं के व्यापार एवं अपहरण के 17.9 प्रतिशत मामले बलात्कार संबंधी 7.9 प्रतिशत मामले दर्ज किए गए एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के प्रति एक लाख की आबादी पर दर्ज अपराधों का यदि प्रतिशत निकाले तो यह वर्ष 2019 में 62.4 प्रतिशत और वर्ष 2018 में 58.8 प्रतिशत था उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक अपराध दर्ज किए गए जिनकी कुल अपराधों में भागीदारी 14.7 प्रतिशत थी पूरे देश में महिलाओं के विरुद्ध कार्य मामलों में से इनकी संख्या 59853 रही दूसरे स्थान पर राजस्थान रहा जहां 41550 मामले दर्ज किए गए जिसका प्रस्ताव 10.2 प्रतिशत रहा वहीं महाराष्ट्र में 37144 मामले दर्ज किए गए जिसका प्रस्ताव 9.2 प्रतिशत रहा वहीं यदि इन आंकड़ों को हम प्रति लाख महिला आबादी के हिसाब से देखें तो इस आधार पर आसाम में महिलाओं के विरुद्ध सर्वाधिक अपराध दर्ज किए गए जो 117.8 प्रति लाख महिला जनसंख्या के आधार पर दर्ज किए गए वहीं राजस्थान में एक–एक 0.4 हरियाणा में 108.5 प्रति लाख की आबादी पर मामले दर्ज हुए वहीं महिलाओं के विरुद्ध कार्य बलात्कार संबंधी मामलों की संख्या राजस्थान में 5997 यूपी में 3065 एमपी में 2485 दर्ज की गई और यदि हम प्रति एक लाख की आबादी के हिसाब से दर्ज किए गए बलात्कार संबंधी मामलों को प्रतिशत में देखें तो राजस्थान 15.9 प्रति लाख केरला 11.1 प्रति लाख हरियाणा 10.9 प्रतिशत के हिसाब से मामले दर्ज किए गए वहीं यदि हम ''लैगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012'' के तहत महिलाओं के प्रति कार्य अपराधों की चर्चा करें तो इस संदर्भ में यू. पी. 7444 मामलों के साथ पहले स्थान पर रहा दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र मैं 6402 मामले तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश मैं 6013 मामले दर्ज किए गए यदि यदि इन मामलों की दर को प्रति एक लाख की महिला आबादी के हिसाब से देखा जाए तो सिक्किम में प्रति एक लाख की आबादी पर यह दर 27.18 प्रतिशत मध्यप्रदेश प्रदेश में 15.01 प्रतिशत एवं हरियाणा में 14.6 प्रतिशत वहीं यदि दहेज हत्या के मामलों की बात करें तो 2410 मामलों के साथ यू.पी. इस संदर्भ में प्रथम स्थान पर रहा और पति एक लाख की आबादी पर इसकी दर 2.2 प्रतिशत रही वहीं बिहार में दहेज हत्या के 1120 मामले दर्ज किए गए एनसीआरबी की 2019 की रिपोर्ट के तहत एसिड अटैक के 150 मामले दर्ज किए गए जिसमें 42 मामले यू.पी. में 36 मामले वेस्ट बंगाल में दर्ज किए गए एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार दलित महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक बलात्कार के मामले 554 राजस्थान में एवं 537 मामले उत्तर प्रदेश में एवं 510 मामले मध्यप्रदेश में दर्ज किए गए दलित महिलाओं के खिलाफ कार्य बलात्कार के मामलों की सर्वाधिक दर केरला में 4.6 प्रति लाख एवं मध्य प्रदेश में 4.5: एवं राजस्थान में भी 4.5 प्रति लाख रही है।[1]

[1] एनसीआरबी की रिपोर्ट 2019: https://ncrb.gov.in/sites/default/files/CII%202019%20Volume%201.pdf

चौकाने वाले तथ्यः–

यू.एन.डी.पी.के द्वारा जारी रिपोर्ट में मानव विकास सूचकांक के अनुसार सभी दक्षिण ऐशियाई देशों खासतौर पर अगफानिस्तान की रैंक महिला दृष्टिकोण से भारत से बेहतर थी। भारत में 1 से 5 वर्ष तक के 75 प्रतिशत बच्चियॉ लड़कों की तुलना में मृत्यु का शिकार हो जाती हैं भारत में हर 20 मिनट में एक महिला बलात्कार का शिकार होती है और उनके विरूद्ध कारित सभी अपराधों में से कुल 10 प्रतिशत अपराधों की ही रिपोर्ट दर्ज हो पाती है। भारत की जनसंख्या में महिला जनसंख्या 48 प्रतिशत है एवं राष्ट्रीय कार्यक्षमता में इनका योगदान सिर्फ 29 प्रतिशत है।

The Labour Force Participation Rate (LFPR) की बात यदि हम करें तो भारतीय महिलाओं की एलएफपीआर 26.97 प्रतिशत है। जबकि विश्व में महिलाओं का यह औसत 48.47 प्रतिशत है, यदि हम भारत में बेरोजगारी प्रतिशत की बात करें तो यह समग्र रूप से 7 प्रतिशत है लेकिन महिलाओं में यही 18 प्रतिशत है, यदि लैंगिक असमानता की बात करें तो विश्व के 153 देशों में भारत का 112 स्थान है वहीं स्वास्थ्य व अस्तित्व के क्षेत्र में भारत की स्थिति और भी निराशापूर्ण है। उसका स्थान इस क्षेत्र में 150वॉ है। अगर हम हयूमन डब्लपमेंट इंडेक्स (HDI) के आधार पर भारत की स्थिति की बात करें तो 189 देशों में उसका स्थान 129वॉ है। HDI, GDI, GII के आधार पर यदि हम भारत में महिलाओं की स्थिति का पुरूषों की स्थिति से तुलना करें तो लिंग आधारित असमानता स्पष्ट दिखाई देती है। साथ ही महिला आर्थिक सहभागिता के मामले में उसका स्थान 149वां है। भारत की केन्द्रीय सरकार में 06 महिला मंत्री है एवं संसद के कुल सदस्यों में से 64 मात्र महिला सांसद है जो कुल संसद संख्या का 17 प्रतिशत है। यदि मंत्री संख्या के अंतर्गत बहुत अल्प हैं। भारत के 24 उच्च न्यायालयों में मात्र 73 महिला जज कार्यरत हैं जो कुल संख्या का 10.8 प्रतिशत है।[2]

महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्योंः–

भारतीय संस्कृति में वेद एवं पुराणों के अनुसार स्त्रियों की पूजा महालक्ष्मी, सरस्वती एवं दुर्गा के रूप में की जाती है किन्तु इसके बावजूद भी समाज के अंदर बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां महिलाओं का यह देवियों वाला स्वरूप दिखलाई नही देता और वे अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करती हुई दिखलाई देती हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण को इंगित करना आवश्यक है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की लगभग 66 प्रतिशत महिलाओं की शक्ति अनुप्रयोगी है ये सामाजिक परम्पराओं में जकड़ी हुई हैं। मुख्यतः खेती और पशुओं की देखभाल उनका प्रमुख कार्य है। कुल कार्य क्षमता में महिला भूमिका 90 प्रतिशत है। महिलाऐं कुल आवादी के लगभग आधी की भागीदार है । वे विश्व के 2/3 कार्यों का सम्पादन करती है लेकिन कुल आय में उनका हिस्सा सिर्फ 1/10 है और विश्व सम्पत्ति में उसका हिस्सा 1/100 है। विश्व की 900 मिलियन जनसंख्या का 70 प्रतिशत भाग जो गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा है उनमें सर्वाधिक संख्या महिलाओं की है। उनका स्वास्थ्य पुरूषों की अपेक्षा कमजोर है। प्रशासकीय एवं व्यवस्थापकीय के पदों पर पुरूषों की अपेक्षा इनकी भागीदारी 1/7 है मुख्यतः विकासशील देशों में। विश्व की संसदों में इनकी भागीदारी 10 प्रतिशत है एवं मंत्री मण्डलों में 6 प्रतिशत।

[2] World Bank Index female LFPR report 2018: https://www.catalyst.org/research/women-in-the-workforce-india/

महिला सुदृढ़ता को बाधित करने वाले कारकः–

लैंगिक भेदभाव, कन्याभ्रूण हत्या, शिक्षा का अभाव, वित्तीय आभावग्रस्तता, पारिवारिक जिम्मेदारियॉ, न्यूनतम आवागमन, खतरा उठाने की योग्यतया का अभाव, उपलब्धियॉ प्राप्त करने की चाहत का अभाव, सामाजिक स्तर, दहेज, सजातीय विवाह, बाल विवाह, महिलाओं के विरूद्ध कारित अपराध (बलात्कार, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, अम्लीय हमले आदि)।

महिला सुदृढ़ता की जरूरतः–

निर्णय निर्माण की शक्ति हेतु, आवागमन की स्वतंत्रता, शिक्षा की प्राप्ती हेतु, रोजगार की प्राप्ती हेतु, घरेलू हिंसा से मुक्ति हेतु, राजनीति में भागीदारी हेतु, प्रशासन में भागीदारी हेतु, रोजगार हेतु, स्वालम्बन हेतु।

महिला सुदृढता के मार्ग :–

महिला श्रम के तरीकों में परिवर्तन करके, महिलाओं में निर्णय लेने की क्षमता का विकास करके, शिक्षा का स्तर सुधार करके, स्वसहायता समूहों में जोड़कर, स्वरोजगार से जोड़कर, स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करके, सामाजिक सोच में बदलाव लाकर, महिलाओं में आत्मविश्वास जाग्रत करके कि, वे किसी भी कार्य को कर सकती हैं।

महिलाओं के लिए सरकारी योजनाऐं एवं कार्यक्रम :–

महिला समवृद्धी योजना, इन्द्रा महिला योजना, महिला समाख्या योजना, स्वशक्ति समूह, स्वावलम्बन योजना, स्वधार योजना, महिला सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय मिशन, धन लक्ष्मी योजना, उज्वजला योजना, एंटीग्रेटेड रूलर डब्लपमेंट प्रोग्राम (IRDP) ट्रेनिंग ऑफ रूलर यूथ फॉर सेल्फ इम्पलॉयमेंट (Trysem) प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वोमेन्स डब्लपमेंट, कार्पोरेशन सेम, (WDCS), वर्किंग वूमेन फार्म, इन्द्रा महिला केन्द्र, महिला समिति योजना, खाद्यी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग, इन्द्रा प्रियदर्शनी योजना, एस.बी.आई. श्री सखी योजना।

महिला सशक्तिकरण के कारणः–

हम जानते है कि वर्तमान में विभिन्न कानून एवं योजनाऐं महिला सशक्तिकरण हेतु केन्द्र व राज्य स्तर पर बनायी गई है, लेकिन भारत में महिलाऐं समाज के हरस्तर पर शोषण एवं भेदभाव का शिकार हैं। वे सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं शिक्षा या स्वास्थ्य का मामले में भी पिछड़ी हुई हैं। महिलाऐं सम्पूर्ण भारत में आर्थिक रूप से अत्यंत कमजोर है। कुछ ही महिलाऐं है जो रोजगार व अन्य क्रियाकलापों में संलग्न है। आवश्यकता है कि उनका आर्थिक सशक्तिकरण किया जावे ताकि वे खुद के पैरों पर खड़ी हो सकें। यदि हम 2011 की जनगणना को देखें तो हम महिला साक्षरता सिर्फ 65 प्रतिशत है जबकि पुरूष साक्षरता 80 प्रतिशत है। वे कम खाती हैं कार्य अधिक करती हैं जिसका प्रभाव उनके स्वास्थ्य व क्षमता पर पड़ता है। घर में लिये जाने वाले निर्णयों में उनकी सहभागिता नगण्य है वे कार्यस्थल पर शोषण का शिकार होती है उनके विरूद्ध बलात्कार, अपहरण, व्यपहरण, दहेज हिंसा, दहेज हत्या, घरेलू हिंसा, तेजाब हमले, छेड़छाड़ एवं यौन संबंधी अपराध कारित होते हैं जो उनके

सशक्तिकरण को प्रभावित करते हैं। हमे ऐसे वातावरण के निर्माण की आवश्यकता है जिसमें वे सम्मान व सुरक्षा के साथ जीवन में आगे बढ़ सकें।

चुनौतियॉः

सामाजिक मान्यताऐं, पारिवारिक संगठन, भारतीय संस्कृति, प्रथाऐं एवं पुरूषवादी सोच, वे कारण है जो महिला सशक्तिकरण के मार्ग को अवरूद्ध करते हैं। महिला सुदृढ़ता के सम्मुख विभिन्न चुनौतियॉ में से निम्नांकित प्रमुख हैं –

शिक्षा, गरीबी, स्वास्थ्य, सुरक्षा, व्यवसायिक असमानता, नैतिक असमानता ,गृह स्वामित्व के संदर्भ में असमानता, राजनैतिक असमानता एवसं लिंग भेद प्रमुख हैं।

महिला सशक्तिकरण हेतु संवैधानिक प्रावधानः–

महिला सशक्तिकरण हेतु संवैधानिक प्रावधान निम्नलिखित है जिनसे महिलाओं को बड़ा ही संबल मिला है, जो कि निम्नलिखित है[3]–

- विधि के समक्ष समानता (अनुच्छेद–14),
- सामाजिक समानता (अनुच्छेद–15),
- महिलाओं के संबंध में विशेष प्रावधान (अनुच्छेद 15 (3)),
- लोक नियोजन में अवसर की समानता (अनुच्छेद 16),
- प्राण और दैहिक स्वतंत्रता (अनुच्छेद 21),
- मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध (अनुच्छेद 23),
- राज लोक कल्याण की अभिवृद्धी करके ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का प्रयास करे जिनमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय हर स्त्री व पुरूष के लिए सुनिश्चित हो। (अनुच्छेद–38 (1)),
- पुरूष और स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार (अनुच्छेद–39क),
- समान कार्य के लिए समान वेतन (39घ),
- कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा स्त्रियों और बालकों की नाजुक अवस्था का दुरूपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु व शक्ति के अनुकूल न हो। (अनुच्छेद 39–ड.),
- काम की न्यायोचित एवं मानवोचित दशाओं का उपबंध (अनुच्छेद 42),
- समान आचार्य संहिता (अनुच्छेद 44),
- शिक्षा का प्रबंध (अनुच्छेद 45),
- पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का कर्तव्य (अनुच्छेद 47),
- पंचायत एवं नगरीय संस्थाओं मे महिलाओं के लिए आरक्षण (अनुच्छेद 243–डी, अनुच्छेद 245–टी)

[3] भारतीय संविधान बेयर एक्ट।

फाईडिंग ऑफ दा स्टडीः–

1. वैश्वीकरण और उदारीकरण का जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाव पड़ा किन्तु महिला स्थिति पर अधिक नहीं।
2. सामाजिक सोच में बदलाव लाने की आवश्यकता है ताकि उन प्रथाओं, रूढ़ियों और रिवाजों का अंत किया जा सके जो महिला सशक्तिकरण में बाधक है।
3. भारत में विभिन्न सरकारी योजनाऐं एवं एन.जि.ओ. संचालित है किन्तु समाज तथा इनके मध्य एक अंतराल व्याप्त है जिसे दूर करने की आवश्यकता है।
4. महिला सशक्तता एवं सुरक्षा हेतु विभिन्न कानूनों एवं संवैधानिक प्रावधानों का उपबंध तो है लेकिन इनके क्रियान्वयन में कार्यपालिका का रवैया अत्यंत सुस्त है।
5. शिक्षण और स्वास्थ्य की दृष्टि से आज भी हमारी महिलाऐं पिछड़ी हुई है एवं लैंगिक भेदभाव का शिकार है इसे दूर करने की आवश्यकता है।
6. सामाजिक चेतना।
7. महिलाओं के आर्थिक सशक्ता का लक्ष्य आज भी हम प्राप्त नही कर पाये हैं।

सुझाव :–

1. पहली और सबसे अहम आवश्यकता है महिलाओं की शिक्षा इसकेलिए जमीनी स्तर पर बृहद और व्यापक प्रयास किये जाने चाहिए।
2. जनजागरूकता अभियान संचालित किये जाने चाहिए। बृहद और व्यापक स्तर पर।
3. महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि वे घर से बाहर पुरूषों की भांति समस्त कार्यों को सम्पादित कर सकें।
4. महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है।
5. महिलाओं के लिए रोजगार की व्यापक व्यवस्था की जाना चाहिए ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त हों और उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो सके।

उपसंहारः–

महिला सुदृढ़ता न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय चर्चा व महत्व का विषय है खास तौर पर आज 21वीं सदी में। किन्तु हम ताल ठोक कर आज भी यह नही कह सकते है कि हमारे देश में महिलाओ में पुरूषों के बराबर प्रत्येक क्षेत्र में बराबरी को प्राप्त कर लिया है। रोजगार, आय, शिक्षा, सुरक्षा, आवागमन, राजनैतिक सहभागिता, निर्णय लेने की क्षमता जैसे वे मुद्दे है जिनमें आज भी महिलाओं की स्थिति दयनीय है हमने महिला सुदृढ़ता की दिशा में कार्य तो किया है किन्तु यह पूर्ण सफलता की ओर अग्रसर होता दिखाई नही दे रहा है। आज भी पुरूषो की सोच स्त्री को सहभागी की दृष्टि से नहीं सेविका की दृष्टि से देखने की है। हमें इसी सोच से लडना होगा तभी हम सही मायने में और विभिन्न क्षेत्रों में महिला सुदृढ़ता के क्षेत्र को वास्तविक रूप से और पूर्णतः प्राप्त कर पायेगें, केवल कागजों में नही, जमीनी हकीकत स्तर पर भी।

****